

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 106/2018 अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट

सिलोचना पत्नी सोहन लाल जाति नायक निवासी केलनिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-वादीया

- बनाम
1. सुमित्रा पत्नी गोविन्दराम जाति नायक निवासी केलनिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
  2. शैराराम पुत्र लाधुराम जाति नायक निवासी केलनिया तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
  3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर तहसील रावतसर।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री विनोदकुमार स्वामी वकील-वादीया

श्री अंकुर वर्मा प्रतिवादी सं. 1 व 2

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 3

निर्णय दिनांक- 12/3/2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:-

1. वादीया को रोही मौजा केलनिया के खसरा नं. 222/1 की 11.6470 है0 में से 3.036 है. दक्षिणी पासा की भूमि की,
2. प्रतिवादी सं. 1 व 2 को केलनिया के खसरा नं. 10 की 4.9700 है0, खसरा नं 222/1 की 11.647 है. में से 8.611 है0 भूमि के मुताबिक राजस्व रिकार्ड हक हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12/3/2025 को जारी की गई।

(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

